(वाद सं0.-6603/4/17/2020)

28.07.2022

प्रसंगाधीन मामला, आँगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र (प्रथम इकाई), बबुआगंज, खगड़िया की अनुदेशिका, परिवादी, आरती देवी, को वित्तीय वर्ष–2004–05, 2005–06 व 2016–17 के दौरान कुल 18 माह के 73,450 रूपये बकाया मानदेय का अब तक भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **निदेशक, आई0सी0डी0एस0, बिहार, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गई । **आई0सी0डी0एस0, बिहार, पटना के प्रभारी पदाधिकारी, मानवाधिकार शाखा** के प्रतिवेदनानुसार **"जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगडिया द्ववारा पतिवेदित किया गया है कि परिवादी, आरती देवी, को बकाया 73450/–रूपये का भुगतान कर दिया गया है।"**

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **प्रभारी पदाधिकारी, मानवाधिकार शाखा, आई0सी0डी0एस0, बिहार पटना** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **प्रभारी पदाधिकारी, मानवाधिकार शाखा, आई0सी0डी0एस0,बिहार पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक